



-प्रेस नोट-

दिनांक:06.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा फायरिंग की घटना में वाँछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 03 अवैध तमन्चे, 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 02.09.2025 को वादी श्री रामभूल पुत्र जगपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी के भाई नरेन्द्र के उपर जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मार कर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 187/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/352/109(1) बीएनएस बनाम 1-राजा पुत्र रामपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 2- समर उर्फ छोटू पुत्र सहेन्द्र निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 3-रवि पुत्र रामपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर व अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का सज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतू निर्देशित किया गया। निर्देशों के क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री सुनील शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2025 को थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1- राजा पुत्र रामपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 2- हर्ष पुत्र संजीव निवासी ग्राम नन्हेडा खुर्द थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 3- समर उर्फ छोटू पुत्र सहेन्द्र निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को बेलडा नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 03 तमन्चे 315 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछने पर अभियुक्त संमर उर्फ छोटू उपरोक्त ने बताया कि अनुज पुत्र बलबीर तथा शिवम पुत्र शिवकुमार उर्फ फौजा निवासीगण ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर का मेरे साथ लगभग 02 माह पूर्व कस्बा बुढाना में झगडा हुआ था तभी से मेरी व शिवम के साथ वाटसएप ग्रुप के माध्यम से आपस मे गाली गलौच चल रही थी दिनांक 02.09.2025 को ग्राम महेशपुर मे म्हाडी मेले में अनुज व शिवम तथा मै भी आया था। हमारा मेले मे झगडा हुआ तो मैने अपने साथी राजा पुत्र रामपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर तथा हर्ष पुत्र संजीव निवासी ग्राम नन्हेडा खुर्द थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर व अन्य साथी को फोन करके बुला लिया। हमारे मध्य पूर्व मे हुई गाली गलौच को लेकर मेले मे आपस में विवाद बढ गया तो नरेन्द्र पुत्र जगपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर, अनुज व शिवम के पक्ष मे बोल पडा तो हमने नरेन्द्र पुत्र जगपाल को गोली मार दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. राजा पुत्र रामपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
2. हर्ष पुत्र संजीव निवासी ग्राम नन्हेडा खुर्द थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
3. समर उर्फ छोटू पुत्र सहेन्द्र निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- 03 तमंचे 315 बोर (प्रत्येक अभियुक्त से 01-01 बरामद)
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर (प्रत्येक अभियुक्त से 02-02 बरामद)
- 01 मोटर साईकिल पल्सर रंग काला बिना नम्बर प्लेट (अभियुक्त राजा से बरामद)
- 01 मोटर साईकिल हीरो स्पेलेन्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट (अभियुक्त समर से बरामद)

अभियुक्त राजा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/191(3)/190/352/109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 147/25 धारा 25(1)बी आर्म्स एक्ट थाना पंचकुला हरियाणा

अभियुक्त हर्ष का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/191(3)/190/352/109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 373/2024 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा – 02 गौतमबुद्ध नगर
3. मु0अ0सं0 410/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा – 02 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त समर उर्फ छोटु का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 187/25 धारा 191(2)/191(3)/190/352/109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 2- उ0नि0 श्री लाखन सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 3- उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 4- उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 5- हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 6- हे0कां0 843 विवेक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 7- कां0 1569 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 06-09-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा स्कूल परिसर में अभिभावक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01/09/2025 वादी हिफजुल करीम पुत्र मौ० ईकबाल निवासी मौ० बहाउद्दीन व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त पंकज कुमार सैनी (प्रधानाध्यापक) पुत्र पहल सिंह निवासी मौ० मौहम्मद गोरी कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा वादी व उसके पुत्र के साथ मारपीट व धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 366/25 धारा 191(2)/115(2)/118(1)/351(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मारपीट की घटना में 01 वांछित अभियुक्त पंकज सैनी पुत्र पहल सिंह नि० मौ० मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर को लखनौती चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस की चालानी कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

(1) पंकज सैनी पुत्र पहल सिंह निवासी मौहल्ला मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. हे०का० 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 06.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.09.2025 को 01 वारण्टी अभियुक्त धर्मवीर वाल्मिकी पुत्र प्रेम चन्द नि0 मौ0 खाकरीबान थाना नकुड़ जिला सहारनपुर (सम्बन्धित वाद संख्या 977/18 धारा 138 एनआई एक्ट सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-04 जनपद सहारनपुर) को मौ0 खाकरीबान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

धर्मवीर वाल्मिकी पुत्र प्रेम चन्द नि0 मौ0 खाकरीबान थाना नकुड़ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री संतोष त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रणवीर शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 कोमल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 06.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सचिन पुत्र राजवीर निवासी ग्राम भावसी थाना नानौता जिला सहारनपुर (सम्बन्धित वारण्ट वाद संख्या 678/18 व मु0अ0स0 327/2011 धारा 366,363 भादवि सम्बन्धित प्रधान मजिस्ट्रेट/ सदस्य किशोर न्याय0 परिषद सहारनपुर) को ग्राम भवसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सचिन पुत्र राजवीर निवासी ग्राम भावसी थाना नानौता जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 आकाश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 729 उपेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 06.09.2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा

तस्कर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.09.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त आजम पुत्र इदरीश नि0ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को दुमझेडा मोड़ जंगल ग्राम दुमझेडा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 222/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि ये स्मैक मै बाहर से सस्ते दामों पर यहा लाकर पुडिया बनाकर अलग अलग गांव मे जाकर स्मैक पीने वालो लोगो को बेच देता हूँ जिससे मुझे काफी मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आजम पुत्र इदरीश नि0ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 13 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 1107 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2025 वादिया की लिखित प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0 305/25 धारा 115(2)/351(3)/64(2)(m) BNS व 3(2)(5) व 3(1)(द)(ध) SC/ST Act बनाम झलकेश पुत्र सतपाल निवासी भौपतपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर पजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराधी/ नकबजनी/चोरी/लूट/ अवैध असलाह / वांछितआदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **झलकेश पुत्र सतपाल निवासी भौपतपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर** को ग्राम बहलोलपुर सैक्टर 63 नोएडा गिरफ्तार किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त की धारा 64(2)M BNS को धारा 69 BNS मे परिवर्तित किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय सहारनपुर के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. झलकेश पुत्र सतपाल निवासी भौपतपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 504 विपिन कौशिक थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का0 850 सचिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:06.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा ट्यूबवैल से विद्युत उपकरण चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, चोरी गये विद्युत उपकरण एवं घटना में प्रयुक्त उपकरण हथौडा, छैनी, प्लास, टेस्टर, पेंचकश, लोहे की रोड आदि सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2025 को वादी श्री मुबारिक अली पुत्र शकूर निवासी चौराखुर्द थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 26.08.2025 को अज्ञात चोरो द्वारा वादी व वादी के पडोसी के खेतो मे लगे नलकूपो मे से स्टार्टर , केबिल , कटाउट मे से तांबा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 204/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया । दिनांक 03.09.2025 को वादी श्री अर्जुन पुत्र जगराम निवासी बुढडाखेडा अहीर थाना गागलहेडी सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 02/03.09.2025 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा वादी व अन्य ग्रामीणों की ट्यूबवैल से केबिल, स्टार्टर व कटआऊट चोरी कर लेने के मे सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 222/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ट्यूबवैल से विद्युत उपकरण चोरी/वाहन चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर चोर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 01 वांछित शातिर चोर/अभियुक्त सूरज पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम कोल्की थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को भगवानपुर रोड पर आश्रम के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 कट आउट की पत्ती/तार (तांबे की), 11 स्ट्रार्टर के तांबे के पुर्जे, 02 केबल के टुकडे, 01 कट आउट, 04 तांबे के तार के गुच्छे, 01 आटोमोटिड चेन्जर, 01 हथौडा, 02 छैनी, 02 अदद प्लास, 01 टेस्टर, 01 बडा पेंचकश, 01 टूटा ताला, 01 लोहे की रोड आदि उपकरण बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो में धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की वृद्धि की गई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने साथियो 03 साथियों के साथ मिलकर ट्यूबवैल के ताले व दीवार तोडकर उसमें से स्ट्रार्टर व बिजली के केबल, चोरी करते है और स्ट्रार्टर व केबल में से तांबे को निकालकर राह चलते कबाडी को बेच देते है आज भी मैं और मेरे साथी चोरी करने के लिए इक्ठठा हुए थे परन्तु आप लोगों को देखकर मेरे साथी मौके से भाग गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सूरज पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम कोल्की थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सूरज का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 214/24 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना गागलहेडी ।

बरामदगी का विवरण -

- 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 कट आउट की पत्ती/तार तांबे की (सम्बन्धित मु0अ0सं0 204/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गागलहेडी)
- 11 स्ट्रॉटर के तांबे के पुर्जे (सम्बन्धित मु0अ0सं0 204/25 धारा 305(ए) बीएनएस)
- 02 केबल के टुकड़े (सम्बन्धित मु0अ0सं0 204/25 धारा 305(ए) बीएनएस)
- 01 कट आउट (सम्बन्धित मु0अ0सं0 204/25 धारा 305(ए) बीएनएस)
- 04 तांबे के तार के गुच्छे (सम्बन्धित मु0अ0सं0 222/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गागलहेडी)
- 01 आटोमोटिड चेन्जर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 222/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गागलहेडी)
- 01 हथौडा, 02 छैनी, 02 अदद प्लास, 01 टेस्टर, 01 बडा पेंचकश, 01 टूटा ताला, 01 लोहे की रोड (सम्बन्धित मु0अ0सं0 222/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना गागलहेडी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार गौर थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री उ0नि0 लोकेश राणा थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
4. का0 398 नरदेव सिंह कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
5. का0 12 टुकेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।



दिनांक:06.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना महिला थाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये लगातार संघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्रीमती बबीता तोमर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2025 को महिला थाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **फिरोज खां पुत्र बाबूदीन निवासी मौहल्ला आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुरा पोस्ट आफिस लोनी जनपद गाजियाबाद** को सम्बन्धित वाद संख्या-6637/23 व मु0अ0सं0 36/23 धारा 498ए,323,504 आईपीसी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

1. फिरोजखा पुत्र बाबूदीन निवासी मौहल्ला आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुरा पोस्ट आफिस लोनी गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार, थाना महिला थाना जनपद सहारनपुर
2. है0का0 540 प्रमोद शर्मा, थाना महिला थाना जनपद सहारनपुर



दिनांक:06.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना महिला थाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये लगातार संघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्रीमती बबीता तोमर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2025 को महिला थाना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1.मदीन पुत्र अय्यूब निवासी शफा कालोनी निकट भूरा बाईपास कैम्प थाना कैराना जिला शामली व 2- कय्यूम पुत्र अय्यूब निवासी शफा कालोनी निकट भूरा बाईपास कैम्प थाना कैराना जिला शामली को सम्बन्धित वाद संख्या-180/25 धारा 498ए,323,506आईपीसी व 3 /4 दहेज प्रति अधि० थाना महिला थाना में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:

- 1- मदीन पुत्र अय्यूब निवासी शफा कालोनी निकट भूरा बाईपास कैम्प थाना कैराना जिला शामली
- 2- कय्यूम पुत्र अय्यूब निवासी शफा कालोनी निकट भूरा बाईपास कैम्प थाना कैराना जिला शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

- 1- उ०नि० श्री राजपाल सिंह महिला थाना सहारनपुर
- 2- का० 1080 राहुल कुमार महिला थाना सहारनपुर
- 3- है०का० 1036 मुकेश कुमार महिला थाना सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा /01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **02 शातिर अभियुक्तगण** 1.उस्मान पुत्र हाफिज मसरूफ गुर्जर निवासी कपूरी थाना नकुड जिला सहारनपुर व 2. विशाल पुत्र दीपचन्द निवासी वीराखेडी थाना गगोह जिला सहारनपुर को शाकुम्बरी विहार के पास चौकी क्षेत्र कांशीराम से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व एक अदद अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 450/25 धारा 3/4/25 आर्मस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से न्यायालय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण ने बताया कि हम बेरोजगार हैं व नशे के आदी हैं, हम लोगो को डराने-धमकाने व रौब जमाने के लिए अपने पास तमंचा व चाकू रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता -

1. उस्मान पुत्र हाफिज मसरूफ गुर्जर निवासी कपूरी थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. विशाल पुत्र दीपचन्द निवासी वीराखेडी थाना गगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस 315 बोर
- 01 चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 583 मोनू खोखर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का0 587 प्रदीप कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. का0 77 अरूण कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।



दिनांक: 06.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.08.2025 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अजय पुत्र भोपाल नि0 ग्राम फतेहपुर थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग बहन के साथ छेड़छाड़ करना तथा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 575/25 धारा 74/137(2) पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2025 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त अजय पुत्र भोपाल नि0 ग्राम फतेहपुर थाना देवबन्द सहारनपुर** को ग्राम फतेहपुर से को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2) ड /351(2) बीएनएस व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजय पुत्र भोपाल नि0 ग्राम फतेहपुर थाना देवबन्द सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री विपिन कुमार शर्मा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 2- है0का0 792 सूर्यप्रकाश थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 3- का0 2096 गौरव कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।